न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी श्री कन्हैयालाल स्वामी, आर.ए.एस.

अपील संख्या 22/2018

रूकमणी पत्नी आनन्द कुमार जाति मोदी निवासी ऐटा तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर।

——अपीलार्थी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व सूरतगढ। —— रेस्पोंडेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 रा.भू–रा.अ.1956
विरूद्ध आदेश अतिरिक्त कलक्टर सूरतगढ
दिनांक 22.12.2008

उपस्थितिः–

श्री भागीरथ बिश्नोई अभिभाषक अपीलार्थी

श्री श्याम सुन्दर चाण्डक राजकीय अधिवक्ता

निर्णय दिनांक 28/11/18

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि प्रार्थी रामप्रताप आदि द्वारा एक प्रा.पत्र अति.कलक्टर सूरतगढ के समक्ष राज. भू–राजस्व अधिनियम के नियम 14(4) के तहत पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण का रोही ऐटा के ख.नं. 83/19 के 50 बीघा रकबा पर पिछले 40 वर्षों से कब्जा काश्त चला आ रहा है। अप्रार्थीया हनुमानगढ की निवासी है, वह सदभावी काश्तकार नहीं है। उक्त भूमि उसने अपने नाम से कानून के विरूद्ध टी.सी. पर आवंटन करवा ली है। अतः निवेदन है कि अप्रार्थीया का आवंटन निरस्त किया जावे। अप्रार्थीया ने जबाब प्रा. पत्र पेश कर कथन किया कि विवादित भूमि अप्रार्थीया के नाम से आवंटित है और कब्जा काश्त में चली आ रही है। अप्रार्थीया औरत होने के नाते किसी अन्य से आवंटन करवा सकती है। विवादित भूमि उपनिवेशन से बाहर हो चुकी है। अप्रार्थीया द्वारा कोई तथ्य नहीं छुपाया है। अतः प्रा.पत्र खारिज किया जावे।

अधी. न्यायालय ने सुनवाई करने के पश्चात दिनांक 22.12.2018 को प्रा.पत्र स्वीकार करते हुए विवादित टी.सी. भूमि का आवंटन खारिज कर दिया जिसके विरूद्ध अपीलांट ने यह अपील पेश की है।

उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में मुख्य रूप से अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि विवादित भूमि का टी.सी. पर आवंटन नियमानुसार हुआ था। अपीलांट द्वारा वरवक्त टी.सी.आवंटन कोई तथ्य नहीं छुपाया। अपीलाधीन आदेश की जानकारी होने पर नकल प्राप्त कर बिना किसी देरी के अपील पेश कर दी जिसके लिए मियाद अधि.की धारा 5 का प्रा.पत्र मय शपथ पत्र पेश किया है। अतः अपील पेश करने में हुए विलम्ब को माफ करते हुए अपील अन्दर मियाद शुमार की जावे।

विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि आदेश दिनांक 22.12.2008 के विरूद्ध दिनांक 16.02.2018 को लगभग 9 वर्ष विलम्ब से पेश की है। अधी. न्यायालय में अपीलांट के अधिवक्ता उपस्थित थे। उनको सुनकर आदेश पारित किया है। इस प्रकार अपील स्पष्ट रूप से मियाद बाहर है। अपील मियाद के बिन्दु पर खारिज किये जाने योग्य है। इस सम्बन्ध में राजकीय अधिवक्ता ने आर.बी.जे.(21) 2014 पेज 472 की नजीर पेश की।

गुणावगुण पर बहस करते हुए राजकीय अधिवक्ता ने कथन किया कि विवादित भूमि पर अपीलांट का कब्जा काश्त नहीं था। अपीलांट हनुमानगढ में निवास करती है। अधी. न्यायालय ने प्रा.पत्र स्वीकार करते हुए जो आदेश दिया है वह उचित है। अतः अपील खारिज की जावे।

बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया।

अपीलांट द्वारा यह अपील आदेश दिनांक 22.12.2008 के विरूद्ध दिनांक 16.02.2018 को पेश की है जिसके लिए मियाद अधि. की धारा 5 का प्रा.पत्र मय शपथ पत्र पेश कर अपीलाधीन आदेश की जानकारी दिनांक 09.01.2018 को अपने पुत्र के साथ खेत में काम करने पर लोगों द्वारा बताने पर हुआ जबकि अधी. न्यायालय में अपीलांट के अधिवक्ता उपस्थित थे एवं उनको सुनकर ही आदेश पारित किया है। लगभग 9 वर्ष तक अपने अधिवक्ता ने सम्पर्क न किया हो या अधिवक्ता द्वारा 9 वर्ष की अवधि के अन्दर अपीलांट को सूचित न किया हो। यह मानने योग्य नहीं है। अपीलांट का दायित्व बनता था कि समय–समय पर अपने

वकील से सम्पर्क करना चाहिए था। अपीलांट द्वारा दफा 5 मियाद अधि. के प्रा. पत्र में जो तथ्य अंकित किये हैं वह विश्वास योग्य नहीं होने से अपील मियाद के बिन्दु पर खारिज किये जाने योग्य है।

जहां तक प्रकरण के गुणावगुण के विवेचन का प्रश्न है अपीलाधीन आदेश के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधी. न्यायालय ने विस्तृत विवेचन करते हुए प्रार्थीगण का प्रा.पत्र स्वीकार कर टी.सी.आवंटन को निरस्त किया है। अधी. न्यायालय अपर जिला कलक्टर सूरतगढ ने अपने विस्तृत सारगर्भित निर्णय में अपीलांट द्वारा अपील मीमों/बहस में उठाए बिन्दुओं का विस्तृत विवेचन करते हुए अपीलाधीन निर्णय पारित किया है एवं इस न्यायालय के विनम्र मत में यह निर्णय विधि अनुसार है, उसमें कोई विधिक त्रुटि नहीं होने से अपील अपीलांट मियाद के बिन्दु पर एवं गुणावगुण पर खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 28/11/16 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

28/11/16

(कन्हैयालाल स्वामी)
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगगांनगर